

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम

शुक्लाराम को

नं.

23/2022

सन

किरण मुकदमा

वस्ती

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम

24-12-24

अपनी वकील वकूलाय उभय पक्षकारान् द्वारा उपस्थित अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में वस्ती/पेटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सिंगल 7-1-25 को पेश हो।

07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रस्तुत वाद पत्र में हिदायत पैरवी किये जाने से इन्कार किया। वकील वादीगण के हिदायत पैरवी से इन्कार होने पर वादीगण पक्षकारान् को बार-बार आवाज दिलवाई गई। कोर्ट समाप्ति तक वादीगण पक्षकारान् में से कोई उपस्थित नहीं आये एवं वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये। वकील वादीगण के हिदायत पैरवी से इन्कार किये जाने एवं वादीगण पक्षकारान् के अनुपस्थित रहने से वादपत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा कोई काउण्टर क्लेम प्रतिदावा पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)